

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

धींसु पिता गरजा तेली नि. बांकरा

वनाम

दुर्गाशंकर पिता सोहन नाई नि. बांकरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 603/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तमील में जारी हुये
14.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिमाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मेलवा, प. ह. किशनगढ़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 226/8 रकबा 0.3237 हेक्टेयर स्थितबांकरा, प. ह. बांकरा, तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 266 रकबा 1.3716 हेक्टेयर, आ. न. 267 रकबा 0.2484 हेक्टेयर, आ. न. 268 रकबा 0.2916 हेक्टेयर, आ. न. 269 रकबा 0.0540, आ. न. 270 रकबा 0.0432 हेक्टेयर आ. न. 271 रकबा 0.6696 हेक्टेयर, आ. न. 272 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, 273 रकबा 0.1512 हेक्टेयर कुल किता 08 रकबा 2.8620 स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिमाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट स्वीकार किया जाता है ग्राम बांकरा, प. ह. बांकरा, तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 266 रकबा 1.3716 हेक्टेयर, आ. न. 267 रकबा 0.2484 हेक्टेयर, आ. न. 270 रकबा 0.0432 हेक्टेयर, आ. न. 269 रकबा 0.0540, आ. न. 272 रकबा 0.0432 हेक्टेयर आ. न. 271 रकबा 0.6696 हेक्टेयर, आ. न. 272 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, 273 रकबा 0.1512 हेक्टेयर कुल किता 08 रकबा 2.8620 स्थित की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर कीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14-06-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

दिनांक / रीडर / 2023 / 603/2023

दिनांक :- 19.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. स. 653/2023 अनवान घीसु पिता गरजा तेली नि. बांकरा बनाम दुर्गाशंकर पिता सोहन नाई नि. बांकरा, प्रेम पुत्री भूर नाई नि. बांकरा, दुर्गा पुत्री भूर नाई नि. बांकरा, राधा पत्नी मदन नाई नि. बांकरा, लाड पिता सोहन नाई नि. बांकरा, सत्यनारायण पिता सोहन नाई नि. बांकरा, समता पुत्री सोहन नाई नि. बांकरा, जयराम पिता छीटर रेगर नि. बांकरा, जितेंद्र पिता मांगीलाल मीणा नि. बांकरा, शांतिलाल पिता बरदा तेली नि. बांकरा, रामनिवास पिता बरदा तेली नि. बांकरा, सोहन पिता बरदा तेली नि. बांकरा, मदन पिता बरदा तेली नि. बांकरा वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने वाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बांकरा, प. ह. बांकरा, तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 266 रकबा 1.3716 हेक्टेयर, आ. न. 267 रकबा 0.2484 हेक्टेयर, आ. न. 268 रकबा 0.2916 हेक्टेयर, आ. न. 269 रकबा 0.0540, आ. न. 270 रकबा 0.0432 हेक्टेयर आ. न. 271 रकबा 0.6696 हेक्टेयर, आ. न. 272 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, 273 रकबा 0.1512 हेक्टेयर कुल कित्ता 08 रकबा 2.8620 स्थित की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुचित किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)